

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :चि.प्र./सामान्य/2017/ 946

दिनांक: 30/11/17

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,  
राजस्थान।

विषय:—पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों में Autism के प्रमाणीकरण के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविरों की प्रगति की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि आपके जिलों में Autism के प्रमाण पत्र जारी किये जा रहे हैं Autism के प्रमाणीकरण कार्य हेतु मेडिकल बोर्ड का गठन होना आवश्यक है मेडिकल बोर्ड में (1) Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist, (2) A Psychiatrist, (3) A Paediatrician or General Physician as the case may be होना आवश्यक है। यदि जिलों में उक्त विषय विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो उक्त केसेज को निकटस्थ मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय में रेफर किया जाना उचित होगा। आपको सुलभ संदर्भ हेतु Autism सम्बंधित गाईडलाईन पुनः संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

वर्तमान में पांच प्रकार की ((1) AUTISM SPECTRUM DISORDER, (2) BLINDNESS, (3) HEARING IMPAIRMENT, (4) LOCOMOTOR DISABILITY, (5) LOW VISION)) निःशक्ता के प्रमाण पत्र जारी करने का सॉफ्टवेयर में प्रावधान है अतः इनसे सम्बंधित दिव्यांगजनों के ही प्रमाण पत्र बनाये जावें।




(डॉ. वी. के. माथुर)  
निदेशक, जन. स्वास्थ्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: चि.प्र./सामान्य/2017/ 946

दिनांक: 30/11/17

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव निदेशक (जन स्वा0) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
4. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड व मेल कराना सुनिश्चित करावें।
5. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. वी. के. माथुर)  
निदेशक, जन. स्वास्थ्य  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान, जयपुर